न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 64/2021

युसुफ पुत्र चाव खां जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. परमीना
3. जाहिदा
4. फरीदा पुत्रीयान सुलेमान
5. मौहम्मद फारूख
6. मौहम्मद मुस्ताक पिसरान सुलेमान
7. सहीदन पत्नि सुलेमान
8. अब्बास पुत्र सुलेमान
9. आबिदा
10. मकसूदन पुत्रीयान रूजदार
11. सईदन पत्नि रूजदार
12. सरापत
13. साकिर
14. साजिद पिसरान रूजदार
15. नसरूद्दीन पुत्र रज्जू
16. रसीदन पुत्री रज्जू
17. सौराव खां पुत्र रज्जू
18. सहीद पुत्र मौहम्मद हनीफ
19. सरीपन पत्नि मौहम्मद हनीफ जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री अशोक शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 19

दिनांक :–12/04/2022

उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

अशोक कुमार शर्मा एड

Scanned with CamScanner

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1619/0.55, नया खसरा नम्बर 2115/0.34, 2116/0.01, 2117/0.6, 2118/0.08, 2125/0.06 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है आराजी साविक खसरा नम्बर 1619/0.55 के मध्य में से पूर्व से पश्चिम डामर सडक निकाली गई जो कि सीकरी से डीग वाया कैथवाडा होकर निकलती है जिससे उक्त खसरा नम्बर में से 0.08 रकबा सडक में चला गया बंदोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 1619/0.55 के नये खसरा नम्बर 2115/0.34, 2116/0.01, 2117/0.6, 2118/0.08, 2125/0.06 हैक्टर नये खसरा नम्बर बनाकर नक्शा में लापरवाही बरतते हुए उक्त खसरा नम्बरो को मौके के बिल्कुल विपरीत दर्शा दिया जिसमें सडक के दक्षिण में खसरा नम्बर 2125/0.06 हैक्टर को दर्शाया व खसरा नम्बर 2118/0.08 गैर0मुम0 सडक में जाने के बाद शेष रकबा 0.41 हैक्टर को सडक के उत्तरी दिशा में दर्शा दिया गया है जो कब्जा मौका व कानून के खिलाफ है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 2118/0.08 गैर0मुम0 सडक में जाने के बाद 0.17 रकबा सडक के दक्षिण दिशा में शेष रहता है व शेष 0.30 हैक्टर रकबा सडक के उत्तरी दिशा में शेष रहता है सैटलमेन्ट विभाग को नया नक्शा हाल कब्जा व मौके के अनुसार ही बनाना चाहिए था मुताबिक कब्जा हाल ऐसा ना करके सैटलमेन्ट विभाग ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत कार्य किया हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जा के अनुसा मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2125/0.06 को जो की सडक के दक्षिण दिशा में सडक व खसरा नम्बर 2126 के मध्य है को बढाकर खसरा नम्बर 2125/0.17 किया जावे व मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 2115/0.34, 2116/0.01, 2117/0.06 कुल रकबा 0.41 हैक्टर जो कि सडक के उत्तरी दिशा में है मे से 0.11 हैक्टर रकबा को कम कर 0.30 हैक्टर रकबा दर्शाकर संशोधित किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया तहसीलदार ने जबाब/मौका रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2125/0.06 ,2117/0.06, 2116/0.01, 2115/0.34 के मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड व नक्शे का मिलान किया गया आराजी खसरा नम्बर 2125, 2117, 2116, 2115, 2118 का पूर्व में एक ही मिन नं0 1619 था आराजी खसरा नम्बर 2118 गैर0मुम0सडक जिसका पूर्व में मिन नं0 1619 था मौके पर फीता चलाकर पाया कि आराजी खसरा नम्बर 2115

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

का रकबा 0.28 हैक्टर है जबकि 2116 का रकबा 0.01 एवं 2117 का रकबा 0.01 प्राप्त होता है। इस प्रकार सडक के उत्तरी दिशा में कुल रकबा लगभग 0.30 हैक्टर स्थित है। मौके पर सडक के दक्षिण दिशा में फीता चलाकर पाया कि खसरा नम्बर 2125 जो कि रिकॉर्ड में 0.06 हैक्टर दर्शाया गया है 0.06 हैक्टर न होकर 0.17 हैक्टर प्राप्त होता है। खसरा नम्बर 2125, 2117, 2116, 2115 में मुताबिक जमाबन्दी अनुसार हिस्सा बरकरार रहेगे। मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया । उपस्थित दोनो पक्षकारो ने सहमति दर्ज की एवं हस्ताक्षर व अंगूठा कराये गये।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 19 मय वकील उपस्थित जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 2125/0.06 हैक्टर जो कि सडक के दक्षिण दिशा में जिसको 2125/0.17 व खसरा नम्बर 2115/0.34, 2116/0.01, 2117/0.06, कुल रकबा 0.41 हैक्टर में से जो कि सडक के उत्तरी दिशा में है रकबा 0.11 हैक्टर कम कर 0.30 हैक्टर रकबा संशोधित किया जाना उचित है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील फरीकेन ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस वकील फरीकेन का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण रकबा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 2125/0.06, 2117/0.06, 2116/0.01, 2115/0.34 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 19 के नाम दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 2118 गैर0मु0सडक के नाम दर्ज है। ये सभी हाल खसरा नंबर साविक खसरा संख्या 1619 मिन से बने है।

परन्तु मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 2115 –0.28 हैक्टर, 2116–0.01, एवं 2117–0.01 हैक्टर का है। इस प्रकार सडक के उत्तरी दिशा में कुल रकबा लगभग 0.30 हैक्टर स्थित है। सड़क के दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 2125 –0.17 हैक्टर है। जो कि रिकार्ड के विपरीत है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 19 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिका...
पहाड़ी (भरतपुर)

अशोक कुमार शर्मा एड.

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 2115 का रकबा 0.34 है0 के स्थान पर 0.28 है0, आराजी खसरा सं0 2117 का रकबा 0.06 है0 के स्थान पर 0.01 है0 एवं आराजी खसरा सं0 2125 का रकबा 0.06 है0 के स्थान पर 0.17 है0 शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपजिलाधिकारी,
पट्टी (प्रतापगढ़)